



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 अक्टूबर, 2022

आश्विन 25, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 550/91-2022-09-2014

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-628

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010 टी0सी0-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-89 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी के निस्तारण हेतु नियत समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	इन्वेस्ट यू0पी0 (अवस्थापना एवं	निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल पर निवेशक से प्राप्त विवरण के 7 दिनों	जिस विभागीय सेवा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उससे	07 दिवस	सम्बन्धित जिला का जिला मजिस्ट्रेट	15 दिवस	मण्डलायुक्त	30 दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	औद्योगिक विकास विभाग)	के भीतर समस्त पृच्छाओं के अनुरोध से सम्बन्धित	सम्बन्धित पदाभिहित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी					

आज्ञा से,
के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 550/XCI-2022-09-2014, dated October 17, 2022 :

No. 550/XCI-2022-09-2014

Dated Lucknow, October 17, 2022

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dated January 15, 2011 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule *after* entries at serial number 89, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, be column-wise inserted, namely :-

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the Department	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal of First Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal of Second Appeal Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Invest U.P. (Infrastructure and Industrial Development Department)	Regarding all queries to be sought once within 7 days from the date of receiving details from the investor on Nivesh Mitra Single Window portal	Designated District level Nodal Officer of concerned departmental service for which application has been received	7 days	District Magistrate of concerned District	15 days	Divisional Commissioner	30 Days

By order,
K. RAVINDER NAIK,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 691 राजपत्र-2022-(1076)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० लोक सेवा प्रबन्धन-2022-(1077)-500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।